FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

परणीत सिंह आदि बनाम संदीप सिंह

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 78 सन् 2019

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.19	प्रार्थीगण परणीत सिंह पुत्र संदीप सिंह नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता राजविन्द कौर पत्नि संदीप सिंह जाति जटसिख निवासी हाल 2 एन.जैड. पी.डी. तहसील विजयनगर की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश बंसल ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 53 188 आरटीए के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ **चक 18 एफ एफ की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 11/10 के मु0 न0 21,29,44,45,56,67/4,67/5,67/20** की प्रस्तुत की। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी 03/02/20 तक विवादित भूमि तहसील श्री करणपुर के **चक 18 एफ एफ की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 11/10 के मु0 न0 21, 29, 44, 45, 56, 67/4, 67/5, 67/20 नहरी भूमि में से अप्रार्थी संदीप सिंह के नाम दर्ज 2510/9867 हिस्सा भूमि अर्थात 5.02 हैक्टर नहरी भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।** प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नही करने पर व प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु दो से अधिक अवसर चाहने पर यह अस्थाई स्थगन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो बैंक मे राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। पत्रावली दिनांक 03/02/20 को पेश हो। (मूलचन्द लूणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)	रविकृ ५, नोटिस जारी दिनांक २६/१२/१९ क्रमांक ४००